रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2017/ ज्येष्ठ 1, 1939
No. 1466] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2017/JYAISTHA 1, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2017

का.आ.1655(अ).—जबकि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (घ) (2009 का 35) (इसके बाद इसे आरटीई अधिनियम कहा जाएगा) में "लाभवंचित वर्ग के बच्चे" को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी, जेंडर अथवा अन्य ऐसे किसी घटक से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अन्य ऐसे समूह के बच्चे के रूप में स्पष्ट किया गया है, जैसा अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

और जबकि, बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा स्थापित स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित स्कूल के संबंध में केन्द्र सरकार समुचित सरकार है;

और जबकि, 2014 का डब्ल्यूपी (सी) सं. 147 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (घ) के अंतर्गत ऐसे बच्चों जो एचआईवी प्रभावी के साथ रह रहे हैं अथवा एचआईवी से प्रभावित हैं, को लाभवंचित समूह के बच्चों के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को विचार करना होगा;

और जबकि केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित आदेश पर विचार किया है;

अतः अब, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) की शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के लिए एतद् द्वारा एचआईवी प्रभावी के साथ रह रहे अथवा इससे प्रभावित बच्चों को "लाभवंचित समूह के बच्चे" के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. 1-1/2017-ईई-4]

अनिता करवल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2017

S.O.1655(E).—Whereas clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), defines 'child belonging to disadvantaged group' as a child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class, or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification;

And whereas, the Central Government is the appropriate Government in relation to a school established, owned or controlled by the administrator of the Union territory, having no legislature;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court has ordered in W.P. (C) No. 147 of 2014 that State Governments need to consider the issuance, so as to include children living with or affected by HIV, to be notified as belonging to a disadvantaged group under clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

And whereas, the Central Government has considered the aforementioned order of the Supreme Court;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby notifies the children living with or affected by HIV as "child belonging to disadvantaged group" in respect of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

[F. No. 1-1/2017-EE-4]

ANITA KARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.23 22:03:51 +05'30'